<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–67/2023</u>

मु0 हुस्नेतारा खातून एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

कमरून नेशा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
16.04.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 12.11.2024 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 16.04.2025 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों को वादीगण के आवेदन दिनांक 12.11.2024 पर सुना। कार्यालय अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	
पश्चात् 16.04.2025	**<u>आदेश (ORDER)</u>** अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादीगण की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के उपस्थिति के लिए चल रहा है। प्रस्तुत वाद के वादपत्र में टंकक की गलती के कारण प्रतिवादी सं0–02 का नाम महम्मद आसिफ इकबाल के बजाए महम्मद आसिक इकबाल टाइप हो गया है। प्रतिवादी सं0–02 के उपस्थिति हेतु समन के प्रक्रिया में सही नाम और पता होना आवश्यक है। प्रस्तावित संसोधन सामान्य प्रकृति का है, जिससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–67/2023</u>

मु0 हुस्नेतारा खातून एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

कमरून नेशा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 16.04.2025	वादीगण श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगें। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन मौखिक रूप से वादीगण के आवेदन का विरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा दिनांक 12.11.2024 को आवेदन दाखिल किया गया जो सामान्य प्रकृति का है और इससे वाद के स्वरूप पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है और वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वादपत्र में संसोधन करें। वाद दिनांक 07.07.2025 को नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	